

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1301 FP/UK/ROAD/44583/2020 देहरादून: दिनांक: 03 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-पौड़ी गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-155/2018 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51 हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No - FP/UK/ROAD/44583/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.51 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि Rajaji Tiger Reserve के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में NBWL की अनुमति भी प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 31/11/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/44583/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-पौड़ी।
6. उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा।

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

जनपद-पौड़ी गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

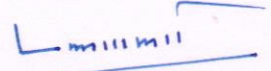
(Online Proposal No - FP/UK/ROAD/44583/2020)

जनपद- पौड़ी गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.51 हे० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-पौड़ी/ उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि Rajaji Tiger Reserve के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में NBWL की अनुमति भी प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:


(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

(D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 3/11/2020

स्थान : देहरादून